बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र०

स्वर्ण जयन्ती समारोह

स्मृतिका 2025

Celebrating
GOLDEN JUBILEE
24 April, 1975
24 April, 2025

24 अप्रैल 2025

स्थान : चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन, लखनऊ

B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ★ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ★ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

प्रबन्ध कमेटी

सभापति एवं संस्थापक

EH Dr मो0 हाशिम इदरीसी

EH Dr राकेश शर्मा

EH Dr प्रताप नारायण कुशवाहा

EH Dr संजय कुमार द्विवेदी

EH Dr अयाज अहमद

EH Dr नरेन्द्र भूषण

डा0 ओमशंकर मिश्रा

डा0 के0 सी0 सिंघल

डा0 आमिर बिन जाबिर

B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ★ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ★ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

के

Celebrating GOLDEN JUBILEE 24 April 1975 – 24 April 2025

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के उन्नयन व विकास तथा शिक्षा एवं अनुरक्षण हेतु प्रदेश में प्रथम मूल रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उत्तरोत्तर विकास हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम **यू0पी0डेवलेपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन,उ0प्र0** रखा गया जिसमें प्रथम पदाधिकारी श्री मो0 हाशिम इदरीसी मुख्य प्रशासक, स्मृतिशेष फजलुर्रहमान अन्सारी प्रशासक,अवधेश शुक्ला प्रशासक,ई0पी0पाल सदस्य,रमाशंकर पाण्डेय सदस्य,ठाकुर प्रसाद श्रीवास्तव सदस्य तथा वहीदुल हसन सिद्दीकी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए इस समिति का पंजीयन विज्ञान,कला एवं उपयोगी ज्ञान हेतु तत्समय उपलब्ध **सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत दिनांक 18 अप्रैल,1975** को रजिस्ट्रार समितियां उ0प्र0 के कार्यालय लखनऊ द्वारा प्राप्त किया गया।

यू0पी0डेवलेपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन,उ0प्र0(वर्तमान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास एवं अनुसंधान संस्थान) के द्वारा बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 की दिनांक 24 अप्रैल,1975 को स्थापना की गयी जो स्थापना से आज तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा,चिकित्सा,पंजीयन,विकास एवं अनुसंधान हेतु कार्य कर रहा है, बोर्ड के एकाधिकार एवं संरक्षण हेतु बोर्ड के मोनोग्राम को केन्द्र सरकार द्वारा कापी राइट कराया गया।

GOVERNMENT OF INDIA

COPYRIGHT OFFICE

EXTRACTS FROM THE REGISTER OF COPYRIGHTS.

PART I LITERARY, DRAMATIC AND MUSICAL WORKS
PART II ARTISTIC WORKS
PART III CINEMATOGRAPH FILMS
PART IV RECORDS

1.	Registration Number	A-21281/78
2.	Name, address and nationality of the applicant.	Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P. 9/1 Pili Colony, Juhi, Kanpur-14. (Indian)
3.	Nature of the applicant's interest in the Copyright of the work.	Owner.
4.	Class and description of the work.	Artistic.
5.	Title of the work.	Emblem (Monogram)
6.	Language of the work.	Hindi, English.
7.	Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, the date of his decease.	Dr. Mohd. Hashim Idrisi, Chairman of Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P. 9/1 Pili Colony, Juhi, Kanpur-14. (Indian)
8.	Whether the work is published or unpublished.	Published.
9.	Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher.	First published in India in 1975 by Dr. Mohd, Hashim Idrisi, Chairman of Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P. 9/1 Pili Colony, Juhi, Kanpur-14. (Indian)
10.	Years and countries of subsequent publications, if any and names, addresses and nationality of the publishers.	Nil.
11.	Names, addresses and nationality of the owners of the various rights comprising the copyright in the work and extent of rights held by each together with particulars of assignments and licences if any.	All rights held by Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P. 9/1 Pili Colony, Juhi, Kanpur-14. (Indian)
12.	Names, addresses and nationality of other persons if any, authorised to assign or licence the rights comprising the Copyright.	As in col. 11 above.
13.	If the work is an 'Artistic Work' the location of the original work including name, address and nationality of the person in possession of it. (In case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).	Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P. 9/1 Pili Colony, Juhi, Kanpur-14. (Indian)
14.	Remarks, if any.	A copy of the work is annexed.

Certified that the above is a true extract from the Register of Copyrights.

New Delhi.
Dated : 24.8.78

(M.L. CHOPRA)
DEPUTY REGISTRAR OF COPYRIGHTS.
Copyright Office
Government of India
New Delhi.

Copies sent to :-

COPYRIGHT OFFICE

Signature to the Copyright Register No. A-21281/78

(M.L. CHOPRA)
Deputy Registrar of Copyrights
Copyright Office,
New Delhi-110001.

COPYRIGHT OFFICE NEW DELHI Reg. No. Date.

होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद

उत्तर प्रदेश

क्रमांक 1909. /एच.एम.बी/ 82 दिनांक लखनऊ 3.5.1976 ई०

सेवामें

चीफ इग्जीक्यूटिव,
डेवलपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होमियोपैथिक
सिस्टम आफ मेडिसिन, उत्तर प्रदेश,
६।१ जूही पिली कालोनी,
कानपुर २०८०१४

महोदय,

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित आपके पत्र सं० यू०पी०डी०ई०एच०।सी०एस०।७५-७६।सेक १, दिनांक शून्य के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि इलेक्ट्रो होमियोपैथिक पद्धति को मान्यता प्रदान करने का प्राविधान उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन एक्ट १९५१-५२-५६-७५ में नहीं दिया हुआ है।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
डा०(कृष्ण कुमार बाजपेई)
रजिस्ट्रार

क्रमांक ।एच०एम०बी०। उसी तिथि को,

प्रतिलिपि उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-९, लखनऊ को शासनादेश सं० ६१३५ सेक्सन-९।पांच-६४०।७३ दिनांक ७-१-७६ के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

डा०(कृष्ण कुमार बाजपेई)

उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा अनुभाग-9

विभाग

संख्या 24 सेक्शन-9/पांच-640/73

लखनऊ, दिनांक : 21 जनवरी, 1976

एलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता विषयक उनके पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1975 के संदर्भ में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को डा० मो० एच० इदरीस, को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उनके उक्त पत्र को निस्तारण हेतु रजिस्ट्रार, होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेज दिया गया है। भविष्य में, यदि आवश्यकता हो तो इस सम्बन्ध में कृपया रजिस्ट्रार, होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश से ही लिखा पढ़ी करें।

(हस्ताक्षर)
(किशोरी लाल)
उप सचिव

सेवामें,
डा० मो० एच० इदरीस,
9/1, पुट्टी पिली कालोनी कानपुर।

संख्या 24(1) सेक्शन-9/पांच-640/73

प्रतिलिपि, ऊपर संदर्भित पत्र सहित, रजिस्ट्रार, होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निस्तारण हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(किशोरी लाल)
उप सचिव

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०— 32 जनरल (ऐडमि०)—१९७४ - ८,00,000

तत्समय प्रभावी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 में संशोधन किया गया ताकि स्वयंसेवी संस्थाओं की निगरानी की जा सके जो इस अधिनियम में पंजीकृत हो तथा समितियों की मान्य अवधि भी दो वर्ष निर्धारित कर दी गयी जो वर्तमान में पांच वर्ष है जबकि इसके पूर्व पंजीकृत सोसाइटियों की कोई निश्चित मान्य अवधि नहीं थी। सरकार की संशोधन की मंशा जो भी हो किन्तु समान कार्य करने वाले निकायों ने अनाधिकृत हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया इस हस्तक्षेप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी अछूती नहीं रही, मान्यता न होने के कारण सहजता से लोगों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता था इस कार्य में होम्योपैथी विभाग अग्रणी रहा, होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद का पत्र इसी काल में उ0प्र0होम्योपैथिक मेडिकल कालेज अर्जन (प्रकीर्ण एवं उपबन्ध) अधिनियम, 21 सन् 1981 प्रभावी हुआ इससे स्थिति स्पष्ट हो गयी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी तथा होम्योपैथी एक नहीं है इसलिए होम्योपैथी का कानून इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर प्रभावी नहीं है। यह तथ्य लॉ डिपार्टमेन्ट की दिनांक 6–6–1984 की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। विधि विभाग की रिपोर्ट आने के पूर्व ही अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका INDIA TODAY ने 15 मई,1983 पेज 84 पर Special Treatment Electro Homoeopathy शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया जो इस प्रकार है ––

The State authorities would probably have been only too happy to follow this advice if they could. They find, however, that their hands are bound as they do not know exactly how to proceed against the Electro Homoeopaths .Says R.S.Singh, Joint Secretary in the Department of Health of the Bihar Government :"We Have alerted all Destrict Magistrates to keep an eye on the activities of such institutions but we are unable to do anything more as all such Institutions have not themselves registered under the Registrations of Societies Act."

In Uttar Pradesh the man charged with handling the problem , Director of Homeopathy , A.C.Saxena , adds in a similar vein: It's a Legal battle . Taking advantage of the Societies Act people get together ans open medical degree shops. This can not be checked unless a Central Act or an Ordinance is promulgated by the Government banning such professional Orgatisations.

OPINION OF LAW DEPARTMENT

1. The point for consideration is as to how restriction can be imposed on the institution which is being run in the name of Electro Homoeopathic medical college and presently imparting education in the said branch of medical science.

2. The U.P. Homoeopathic medical colleges (Acquisition and miscellaneous provisions) Act. 1981 (Act. No. 21 of 1981) puts a restriction of the establishment of new homoeopathic colleges, Section 8 of the said Act prohibits the opening or-ganisation. Saintenance of any institution impaAting instruction in homopathy. Section R(b) of the Act. Says that homoeopathy shall have themeaning assigned to it in the U.P. Homoeopathy Medicine Act. 1951. This Act of 1951 defines the expression "Homoeopathy" in Section 2(C) as below:-

"Homoeopathy means the 'Homoeopathic' system of medicine and includes allied branches of Bio-chamistry minorsurgary"

contd.

3. The result is that prohibition under section 8 as punishable under section 9 of U.P. Act No.21 of 1981 can be imposed only if the Electro Homoeopathic System is covered within the definition of 'Homoeopathic as defined in the 1951.

4. The Registrar of the Electro Homoeopathic Medical Association has said that Homoeopathic and Electro Homoeopathic System are not one and the same. They have explained differences between the two systems at flag 'A' and have also disclosed the development and growth of this branch of science in flag 'B'.

5. The main point for determination is as to whether these two branches of sciences are one and the same. If the Electro Homoeopathic system is covered within the definition of 'Homoeopathy' then a restiction under section 8/9 of the 1981 Act can be imposed

contd....

other wise it is out-side the jurisdiction of this Act. In this connection it is difficult for the Law Department to enter into scientific nicety of the two systems without the assistance of experts to say the exact position. At page 16 place 'A' the administrative Department has disclosed that even the Central Council of Homoeopathy is not able to come to a definite conclusion as to whether this Electro Homoeopathy is different from Homoeopathic system or not and that they have Constituted a sub-committee for this purpose and also for making its recommendations for imposing restrictions on this system. At place 'B' page 16 it was said by the Administrative Department that the opinion of the central government may be obtained in this connection be cause such Electro Homoeopathic college are being run in other states also.

6. The U.P. Government has passed the U.P. Unauthorised Medical Education

contd....

Institution (Prevention) Act, (U.P. Act No.5 of 1973) of Prevention opening of unauthorised Medical colleges.

7. However the prevention is in respect of the opening, organisation science as defined under section 3 of the Indian Medical Degrees Act, 1916. The Indian Medical Degrees Act defines the expression :-

> "Western Medical Science" it means the Western Methods of Allopathic Medicine------ of obstetrics and surgery but does not include the Homoeopathic or Ayurvedic of Unani system of medicine-------".

8. Consequently by virtue of this definition the provisions of U.P. Act No. 5 of 1973 cannot be invoked for the closure of Electro Homoeopathic Institutions.

9. The Fact that the Board of Electro Homoeopathic Medicines has been

contd...

registered under the Societies Registration Act does not confer it any power to do same thing which is prohibited under the Law. Its registration under the said Act has no direct bearing with the running of Electro Homoeopathic College.

10. As said earlier there is no Law for the present which directly prohibits the running of such institutions. Unless we are able to say that Electro Homoeopathy and Homoeopathy are one and the same the provisions of section 8/9 of the 1981 Act cannot be invoked.

11. In Sl.No. 63 the Director of Homoeopathy has said that on 27th March 1984 there has been a meeting of the Central Homoeopathic Board at New Delhi. In that meeting the question of putting a ban on such Electro Homoeopathic Institutions was also considered and it was found during discussion that

Electro Homoeopathy is not Homoeopathy. Not only this but the central Homoeopathic Board further constituted a sub committee to recommend ways and means for the imposition of a restriction on the Electro Homoeopathic system.

12. I have already said earlier that it is not possible for the Law Department to say as an expert that Electro Homoeopathy and Homoeopathy are one and can be invoked. It is significant to note that the central Homoeopathic Board itself has said that the two systems are not one and the same as disclosed at Sl. No.63. If it is so then the provisions of section 8/9 of the 1981 Act will be difficult to be enforced.

13. The result is that either we should wait for the findings of the Sub- committee constituted by the central Homoeopathic Board or we may

contd...

going for an independent Legislati the pattern of U.P. Act No.5 of 1973 for preventing such un- authe sed insitution keeping in view the Electro Homoeopethic system or suc other institutions which may be akin to Homoeopathy.

14. U.P. Act No.21 of 1981 is essentially meant for acquisition of Government Homoeopathic Medical Colleges and to pravincialise the education in the Medical science of Homoeopathy. Any amendment in the difinition of the expression "Homoeopathy" so as to cover the present case may not fit in with present scheme of the Act.

6.6.1984.

(Krishna Mohan Panday)

Jt.Secretary & Jt.L.R.

विधि विभाग की रिपोर्ट आने के बाद सरकारी विभागों द्वारा असत्य एवं भ्रामक समाचार समाचार पत्रों, रेडियों एवं दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कराये जाने लगे इस कार्य में सरकार एवं रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज की भूमिका बराबर की रही जहां एक ओर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने निजी होम्योपैथिक कालेजों के आड़ में कहा कि यहाँ वहाँ खुलने वाले इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कालेजों के विरूद्व रिपोर्ट लिखवाने का आवाहन किया गया

यह समाचार दिनांक 14 अप्रैल,1984 को प्रकाशित समाचार में प्रकाशित हुआ वहीं दूसरी ओर रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज द्वारा दिनांक 16 जुलाई,1984 को एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया कि संस्थायें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के नाम से पंजीकरण प्राप्त कर अवैध तरीके से प्रमाण पत्र जारी कर रही है जिसके फलस्वरूप असहज स्थिति उत्पन्न हो गयी प्रसारित एवं प्रकाशित समाचारों के अध्ययन उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका योजित की जाये जो **दिनांक 26 जुलाई,1984** को प्रतिस्थापित हो गयी याचिका योजित होने के पश्चात सम्बन्धित अधिकारी न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा में लग गये इस याचिका में 1992 तक सुनवाई हुई तत्तपश्चात बोर्ड के पक्ष में निर्णय पारित हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं इसके अनुपालन हेतु समीक्षा के उपरान्त शासन एवं रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश के उपरान्त बोर्ड का स्तर प्रान्तीय से केन्द्रीय हो गया।

.... संस्था यू0पी0 डेवलपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन यू0पी0,पीली कोठी,कानपुर सोसा0रजि0अधि01860 के अन्तर्गत पत्रावली संख्या आई0–35795 पर दिनांक 18.04.1975 को पंजीकृत की गयी थी। संस्था दिनांक 10.10.1981 से दो वर्षो के लिए नवीनीकृत की गयी थी। संस्था द्वारा नवीनीकरण हेतु दिनांक 01.10.1983 को आवेदन किया गया था। नवीनीकरण सम्बन्धी आवेदन के विचाराधीन रहने के दौरान संस्था में प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13380 / 1984 योजित की गयी। योजित याचिका का विरोध करते हुए तत्कालीन निबन्धक द्वारा जुलाई 1985 में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 12.11.1992 पारित किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में तत्कालीन निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रकरण में आदेश दिनांक 09.02.1993 पारित किया गया जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है –

'' उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर तथा निम्न शासनादेशों के परिपालन में संस्था के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.1983 को एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाता है। शासनादेश संख्या 343–5–से–91 पांच 84–168(79) दिनांक 17.08.1984 जिसके अनुसार जो संस्थायें रजिस्टर्ड है,उनके रजिस्ट्रेशन को चालू रखने के प्रश्न पर पुर्नविचार किया जाए।

बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 भारत सरकार के आदेश दिनांक :– 25–11–2003 एवं 05–05–2010 के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, पंजीकरण, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है।

✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION(C) NO.13380 OF 1984.

U.P. Development of Electro Homoeopathic System of Medicine, Uttar Pradesh & Ors.etc. . Petitioners

Versus

The State of U.P. and others 410963 ..Respondents

(WITH WRIT PETITION NO.11837 OF 1985.)

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Judl.)
25/11/5........199
Supreme Court of India

ORDER

W.P.(C) No.13380/84

The petitioner-Society was registered under Section 3(A) (as applicable to the State of U.P.) of the Societies Registration Act, 1860. The Certificate of Registration granted to the Society expired in October, 1983. The petitioner applied for the renewal of the Certificate of Registration. Since no action was taken on the application the petitioner approached this Court by way of this writ petition under Article 32 of the Constitution of India. It is not disputed by the learned counsel for the parties that the matter regarding renewal of the Certificate of Registration is still pending consideration before the Registrar of Societies, State of U.P.

We have heard learned counsel for the parties. Although various questions regarding the eligibility of the petitioner-society to run the educational institutions

B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025

have been raised in these proceedings but it is not necessary for us to go into the same. We are of the view that the Registrar of the Societies was under a statutory obligation to decide the application filed by the Society for renewal of the registration certificate. We direct the respondent-Registrar Firms, Societies and Chits, Uttar Pradesh, Lucknow to decide the application of the petitioners within three months from today after hearing the petitioner. The petitioner-Society through its representative shall appear before the Registrar on December 16, 1992. The Registrar shall pass a speaking order dealing with all the points raised by the parties. The writ petition is disposed of accordingly. Copy of this order be sent to the Registrar, Societies, State of U.P.

<u>Writ Petition (C) No.11837/85.</u>

The writ petition is dismissed as withdrawn.

Sd/-
.......................J.
(Kuldip Singh)

New Delhi,
November 12, 1992.

Sd/-
.......................J.
(P.B. Sawant)

शासनादेश सं0 आडिट 1690 / दस–91–617(1) / 87 दिनांक 03.09.1991 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को न तो भारत सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान की है,अतः उक्त से सम्बन्धित किसी संस्था द्वारा किये जा रहे शिक्षण प्रशिक्षण कार्य के लिए शासन द्वारा अनुमति देने का प्रश्न नही उठता है।''

इस सम्बन्ध में सूच्य है कि शिकायतकर्ता ने यह दावा किया है कि निबन्धक महोदय के आदेश दिनांक 09.02.1993 को उसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी। जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को हाईकोर्ट को त्मसमहंजम कर दिया। जिसके क्रम में एक रिट याचिका संख्या–575 / 1994 यू0पी0डेवलेपमेन्ट सिस्टम आफ मेडिसिन व अन्य बनाम रजिस्ट्रार,फर्म्स एण्ड अदर्स माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में योजित की गयी। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15.11.2011 पारित किया गया।

.... संस्था की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया है कि भारत सरकार द्वारा महानिदेशक आईसीएमआर की अध्यक्षता में गठित '' विशेषज्ञ स्थाई समिति '' की सिफारिशों के आधार पर आदेश संख्या आर014015 / 25 / 96–यू एंड एच(आर)(पार्ट) दिनांक 25 नवम्बर,2003 जारी किया गया था। '' इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने आयुर्वेद,सिद्धा,यूनानी,होम्योपैथी और योग एवं नेचुरोपैथी के सिवाय वैकल्पिक पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की गयी है तथा इन्हें पूर्ण कालिक स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर डिग्रियां जारी करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गयी है तथा डाक्टर शब्द का प्रयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के प्रैक्टिशनरों द्वारा ही किया जाना चाहिये। अनिवार्य और वांछनीय मानक के आधार पर समिति ने इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप अर्हक होना नहीं पाया,अतः यह स्पष्ट है कि इस ओदश के अनुसार इलेक्ट्रोपैथी पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री संचालित नहीं कर सकती है तथा इसकी प्रैक्टिस करने वाले ''डाक्टर'' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते है। तथापि दिनांक 25 नवम्बर,2003 का आदेश संख्या आर014015 / 25 / 96–यू एंड एच(आर)(पार्ट) इलेक्ट्रोपैथी के विकास और अनुसंधान को प्रतिषेध नहीं करता है तथा इलेक्ट्रोपैथी के रूप में संचालित पाठ्यक्रम को भी मान्यता प्रदान करने की प्रणाली नहीं है।''

बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ने अपने स्थापना 24 अप्रैल,1975 से अब तक 3 **दीक्षान्त समारोह क्रमशः 1979,1994 एवं 1997 किये तथा दिनांक 17 सितम्बर 1995 से 15 अक्टूबर 1995 तक प्रदेश के सभी मण्डलों में मण्डलीय सम्मलेन** आयोजित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का जन जागरण अभियान भी चलाया। विदित हो कि दीक्षान्त समारोह में प्रदेश के तत्तकालीन कैबिनेट मंत्री माननीय भगवती सिंह ,राज्यमंत्री माननीय अशोक कुमार सिंह 'बेबी' तथा शिक्षक विधायक माननीय राजबहादुर चन्देल सम्मिलित हुए । बोर्ड हर वर्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 काउण्ट सीजर मैटी का जन्म दिन बड़े धूम धाम से मनाता है अनेकों बार इस कार्यक्रम माननीय सांसद एवं विधायक भी सम्मिलित होते है।

B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली ने अपने निर्णय आदेश दिनांक 18 नवम्बर 1998 को स्पष्ट निर्देश दिया जो कि ——Respondent 10 to 16 and the like institutes shall not award and degree for the courses conducted by them. **माननीय न्यायालय के इस निर्देश के बाद डिग्री जारी करने एवं दीक्षान्त समारोह करने का कोई औचित्य नहीं है माननीय न्यायालय के इस निर्देश का अनुपालन बोर्ड द्वारा किया गया जिसके कारण 1997 से बोर्ड ने कोई दीक्षान्त नहीं किया।**

केन्द्र सरकार ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश का अनुपालन करते हुए 25 नवम्बर 2003 को स्पष्ट आदेश जारी किया है जो आज तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा एवं चिकित्सा हेतु नियामक है जिसने दीक्षान्त समारोह आयोजित करने पर पूर्ण विराम लगा दिया।

उत्तर प्रदेश शासन ने भी 01 जून,2004 को एक शासनादेश जारी कर दिया। इस शासनादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी, जो अभी लाम्बित था अनेक प्रयासो के बाद 5—5—2010 को केन्द्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण आदेश जारी किया जिसमें लिखा है कि **25 नवम्बर, 2003** के जारी आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसंधान एवं विकास में कोई रोक नहीं है। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक वाद डी0के0जोशी बनाम उ0प्र0 राज्य जो 25—4—2000 को निर्णीत हुआ इसके अनुपालन हेतु **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या 820/2002 योजित हुई इस याचिका में 28 जनवरी, 2004** को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर निर्देश दिया गया जो चिकित्सक जिलो में सेवायें देंगे वे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में तथा जो संस्थाये प्रमाणपत्र जारी करेंगी वे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के यहां पंजीयन करायेंगी।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा आहुत बैठक में बोर्ड शासन का पत्र 8 जनवरी 2010 प्रति भाग किया गया है।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा इस न्यायालय आदेश का स्वागत किया गया और प्रत्यावेदन शासन को प्रस्तुत किया इसमें अभी कार्यवाही चल ही रही थी कि **01 जून, 2004** के शासनादेश के विरूद्व योजित याचिका का निर्णय दिनांक 11—10—2010 को हो गया जिसका अनुपालन करते हुए भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने दिनांक 21 जून,2011 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा,शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु आदेश जारी कर सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि वह आदेश दिनांक 25—11—2003 व 5—5—2010 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्देश मानें।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के लाम्बित प्रतिवेदन को निस्तारित करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षा एवं चिकित्सा हेतु **उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग —6 ने एक कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पांच—6—10—23 रिट/11 दिनांक 4 जनवरी,2012** जारी किया जिसकी प्रति अन्य के साथ समस्त अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी को पृष्ठांकित एवं प्रेषित की गयी है, इस आदेश को शासकीय आदेश के अनुसार परिचालित कराने हेतु समस्त अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा दिनांक 2—9—2013 को प्रत्र प्रेषित किया गया।

बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के सम्बन्ध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा पत्र संख्या — 11 फ/ इलेक्ट्रो/2016 /1786 दिनांक 14—03—16 द्वारा जो समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को सम्बोधित है में उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग—6 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के निर्देशानुसार अनुपालन करने के निर्देश दिये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का जनपदीय पंजीयन ——

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांक 28 जनवरी,2004 के अनुसार प्रदेश में चिकित्सकों/चिकित्सालयों का पंजीयन जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता था।

उत्तर प्रदेश शासन, आयुष अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1297/71–आयुष–1–2016–डब्लू–283/2014 दिनांक 03 अगस्त,2016 द्वारा इस व्यवस्था में संशोधन किया गया,संशोधित व्यवस्था के अनुसार जनपद के मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा एलोपैथी,क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी द्वारा आयुर्वेद एवं यूनानी तथा जिला होम्योपैथिक अधिकारी द्वारा होम्योपैथी पद्धति में चिकित्सा करने वालों का पंजीयन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश शासन, आयुष अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1297/71–आयुष–1–2016–डब्लू–283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 के आलोक एवं चिकित्सा अनुभाग–6 के अनुभाग –6 ने एक कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पांच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 4 जनवरी,2012 के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में प्रेक्टिस करने वालों चिकित्सकों जनपदीय पंजीयन अद्यतन व्यवस्था अनुसार बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा नियुक्त जिला प्राभारी/क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 726/पांच–6–2023 दिनांक 13 अप्रैल,2023 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियम,विनियम का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित है, यदि केन्द्र सरकार नियम,विनियम बनाती है तो राज्य सरकार उसका अनुपालन करेगी।

By Speed Post

No. R.14015/25/96-U&H(R) (Pt.)
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(Research Desk)
...

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 25th November, 2003

ORDER

The matter regarding grant of recognition to the various streams of alternative medicine including electropathy/electrohomeopathy, has been under consideration of the Govt. In this process Govt. has considered the orders dated 18.11.98 of the Hon'ble High Court of Delhi in CWP. No.4015/96 & OM NO.8468/97 which has inter-alia directed the Central/State Govts. to consider making legislation to grant of licenses to the existing and new institutes etc. to control & regulate the various 'unrecognised' streams of alternative medicines and also to give adequate publicity through media informing public about the 'Respondents' and similar other institutes not being recognized by the Govt. & affiliated with any of the Councils.

Government constituted a 'Standing Committee of Experts' under the Chairmanship of Director General, Indian Council of Medical Research and members were drawn from various fields of medicine to consider & give its recommendations to the Government on the efficacy/merits of various streams of alternative medicine and also examine feasibility of making legislation as suggested by the Hon'ble Court.

The Committee developed essential & desirable criteria for grant of recognition to a new stream of medicine and analysed the different streams of 'Alternative medicine viz. Ayurveda, Siddha Unani, Homoeopathy, Yoga & Naturopathy, Electropathy/Electrohomoeopathy, Acupuncture, magnetotherapy, Reiki, Reflexology, Urine Therapy/Autourine Therapy, Hypnotherapy, Aromotherapy Colour Therapy, Pranic Healing, Gems & Stone Therapy and Music Therapy.

The Committee did not recommend recognition to any of these alternative medicines except the already recognized traditional systems of medicines, viz; Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy and Yoga & Naturopathy which were found to fulfill the essential & desirable criteria developed by the Committee for recognition of a system of medicine. The Committee has, however, recommended that certain practices as Acupuncture and Hypnotherapy which qualified as modes of therapy, could be allowed to be practised by registered practitioners or appropriately trained personnel. The Committee further suggested that all those Systems of Medicine not recognized as separate Systems should not be allowed to continue full time Bachelor and Master's degree courses and the term "Doctor" should be used only by practitioners of Systems of Medicine recognized by the Government of India. Those considered as Mode of Therapy can be conducted as Certificate courses for registered medical practitioners to adopt these modes of therapy in their practice, whether modern medicine or Indian Systems of Medicine and Homoepathy.

After carefully examining the various recommendations of the Committee, the Government accepted these recommendations of the Committee. Accordingly, it is requested that the State/UT Govt. may give wide publicity to the decision of the Govt. They may also ensure that institutions under the State/UT do not grant any degree/diploma in the stream of medicine which have not been recommended for recognition and the term 'Doctor' is used by practitioners of recognized system of medicine.

This issues with the approval of Secretary(Health), Ministry of Health & FW..

(Bhavani Thyagarajan
Joint Secretary

To

1. All Health Secretaries of States/UTs.
2. Secretary, UGC
3. Dental Council of India, Indian Nursing Council, Medical Council of India, Pharmacy Council of India, Indian Council of Medical Research
4. Secretary, Deptt. of ISM&H
5. CCIM, CCH, CCRAS, CCRYN, CCRH, CCRUM,

✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप का संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबद खण्डपीठ लखनऊ ने एक याचित संख्या 6856 / 2009 में दिनांक 16 मई,2024 को निम्न आदेश पारित किया ——

(5) (111) ....State Uttar Pradesh by heavily relying on the order dated 05.05.2010 has admitted that there was no propsal to stop the petitioners from practising in Elctropathy or imparting education as long as this is done within the parameters as mentioned in the order dated 25.11.2003 and have further stated that once the legislation to recognize new system of medicine is enacted,any practice or education would be regulated in accordance with it.Similarly in para-6 of the said affidavit,it has been mentioned that the order dated 21.06.2011 issued by the Government of India,Office Memorandum dated 15.12.2011 issued by the Government of Uttar Pradesh and the Office Memorandum dated 04.01.2012.

16).......... there is no ban,the petitioners can always pratice Electro Homeopathy as an alternative therapy within the parameters of order dated 25.11.2003.This Court also finds that in the absence of any statutory provisions, **there could not be conferring of diploma or degrees in Electropathy or Electro Homeopathy in India** ,however,there is no bar in issuance of Certificate for the said study.

बैठक दिनांक 14.01.10 / समय 11:00 बजे
संख्या— 2734 / पांच—6—09—डब्ल्यू 4 / 09

प्रेषक,
जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

निदेशक (उपचार),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

निदेशक (होम्योपैथी),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

✓मो0 हाशिम इदरीसी,
चेयरमैन, बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी
मेडिसिन, उ0प्र0, टण्डन मार्केट—8,
लालबाग लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग—6 लखनऊ:: दिनांक: 8 जनवरी, 2010

विषय— मो0 हाशिम इदरीसी, चेयरमैन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिट याचिका सं0—10404 / 04 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मो0 हाशिम इदरीसी, चेयरमैन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा दायर रिट याचिका सं0—10404 / 04 उ0प्र0 डेवलपमेंट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.03.04 के अनुपालन में विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में दिनांक 14.01.2010 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उनके कार्यालय कक्ष, पंचम तल, विकास भवन में एक बैठक आहूत की गई है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.04 की प्रति संलग्न है।

भवदीय,
(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या:— (1) / पांच—6—2009—तददिनांक—

प्रतिलिपि निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग—6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 726 / पांच—6—2023 दिनांक 13 अप्रैल,2023 से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास एवं विस्तार के लिए नियम विनियम बनाने की शक्ति केन्द्र सरकार में निहित है,माननीय न्यायालय के सन्दर्भित आदेश के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थायें डिग्री एवं डिपलोमा जारी नहीं कर सकती है। इस आदेश में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संस्थायें प्रमाण पत्र जारी कर सकती है तथा चिकित्सक प्रैक्टिस कर सकते है।

उपरोक्त का यह अर्थ निकाला जा सकता है कि पिछले 50 वर्षो से इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षा एवं चिकित्सा पर कभी रोक नहीं रही है और न ही भविष्य में होने की सम्भावना है।

★ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ★ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ★ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ★

B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ★ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ★ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ★

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–6
संख्या–2914 /पांच–6–10–23रिट/11
लखनऊः दिनांकः 04 ~~दिसम्बर~~ जनवरी 2012

कार्यालय ज्ञाप

मोहम्मद हाशिम इदरीसी चेयरमैन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 द्वारा रिट याचिका संख्या 4688/2011 यू0पी0 डेवलपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.11 के अनुपालन में यह अवगत कराते हुये कि बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0, भारत सरकार के आदेश दिनांक 25.11.03 एवं 05.05.10 के अनुसार ही समान अवधि के समान पाठ्यक्रम संचालित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है, अपना प्रत्यावेदन दिनांक 15.12.11 प्रेषित करते हुए भारत सरकार द्वारा पारित आदेश संख्या V25011/276/2009-HR दिनांक 05.05.10 के अनुरूप निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– रिट याचिका संख्या 4688/2011 यू0पी0 डेवलपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसिन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18–05–11 को पारित आदेश का अनुपालनीय अंश निम्नवत् है–

"We without enterinting into the claim of the petitioner,dispose of the writ petition with a direction that the representation of the petitioner shall be considered and decided by the authority concerned expeditiously say; within a maximum period of eight weeks from the date of receipt of the ceritfied copy of this order."

3– मा0 उच्च न्यायालय के उपरिसन्दर्भित आदेशों के आलोक में प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध पत्रजात आदि का गहराई से परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वारा दिनांक–05.05.10 को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है। जिसे यहॉं उद्धृत करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

"यह आदेश 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या–31904 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक–03.08.09 के आदेश के अनुसरण में पारित किया जाता है जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया है कि "याचिकाकर्ता" विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का अभिलेख प्रस्तुत करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन दे सकता है। यदि ऐसा अभ्यावेदन पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने के संबंध में होगा तो प्राधिकारी उस पर विचार करेगा और अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह माह के भीतर एक सुविवेचित एवं आख्यापक आदेश द्वारा मामले पर

-2-

निर्णय देगा। यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा सुनवाई का वैयक्तिक अवसर प्रदान किया जाएगा।

एनईएचएम ने डा0 एन0के0अवस्थी के जरिए सचिव के समक्ष एक अभ्यावेदन दिनांकित 28.10.09 फाइल किया जो 30.11.09 को प्राप्त हुआ। इस अभ्यावेदन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित है:–

1. इलेक्ट्रोपैथी जड़ी–बूटी पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति है और इसकी औषधें आसवित जल की सहायता से औषधीय पादपों से तैयार की जाती है। इसलिए इसकी औषधें शत–प्रतिशत सुरक्षित एवं रोगहर है।
2. किसी रोगी की मृत्यु के बारे में सरकार को एक भी शिकायत नहीं मिली है। सरकार के पास एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया हैं।
3. इलेक्ट्रोपैथी के समर्थन में अनेक न्यायालयी निर्णय दिए गए है। इस दावे के समर्थन में अभ्यावेदन के साथ इन मामलों से संबंधित आदेशों की प्रतियां संलग्न की गई है।
4. न्यायालयी मामलों के अलावा, अभ्यावेदन में विश्व परिषद के साथ संबंधन, जी0बी0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की रिर्पोट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमंत्री के दिनांक–14.06.91 एवं 17.06.91 के पत्र, सरकारी चिकित्सा परिषदों के पत्र, संसदीय प्रश्नों के उत्तर, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अधिसूचना, गैर सरकारी विधेयक, पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के पत्र, इंडियन जर्नल आफ वेटरिनेअरी मेडिसिन, पंजाब एग्रीकल्चर मैगजीन, लुधियाना में प्रकाशित लेख, जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना और एस0एस0पी0 आगरा (उत्तर प्रदेश) के पत्र, मध्य प्रदेश सरकार के पत्र तथा इलेक्ट्रोपैथी संबंधी कुछ प्रकाशन (पुस्तकें एवं पत्रिकाएं) भी प्रस्तुत किए गए है।
5. डा0 अवस्थी ने अभ्यावेदन किया है कि स्वास्थ्य मत्रालय को निर्णय का सम्मान करना चाहिए और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के संर्वधन विकास एवं अनुसंधान (शिक्षा एवं प्रैक्टिस) के लिए एनईएचएम को शुरू में कम–से–कम 15 वर्षो की अनुमति दे कर के इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को आश्रय देना चाहिए जिससे कि बना किसी बाधा के नई चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक मानदण्ड हासिल किए जा सकें।
6. मंत्रालय में अभ्यावेदन की जांच की गई। इसके तथ्य निम्नलिखित है–
   (i) अपर जिला न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा 1992 के वाद संख्या 27 के अंतर्गत दिनांक 14.08.92 के आदेश में निर्देश दिया गया है कि वाद की विचाराधीनता के दौरान वादी के कार्यकलाप के संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना जारी न की जाए।
   (ii) एफ0ए0ओ0 संख्या 1998 का 1205 में दिल्ली उच्च न्यायालय के नवम्बर, 1998 का आदेश सार्वजनिक सूचना में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि प्रत्यर्थी सं0 10 से डिप्लोमा/प्रमाण पत्र धारण करने

-3-

वाले व्यक्ति इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने के लिए पात्र नहीं है।

(iii) एस0एल0पी0 संख्या 11262/2000 (भारत संघ बनाम नेचुरो इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकोज ऑफ इंडिया) में 12.01.2000 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश:

"प्रत्यर्थी के लिए विद्वत काउंसेल ने बतलाया है कि उनके अनुदेशों के अनुसार अभिलेख पुस्तिका क पृष्ठ 4 पर उपदर्शित सीमा तक सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 4015/96 में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकर कर लिया गया है और मामले के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आक्षेपित निर्देश गैर–आपवादिक है"

"12.10.2000 को हमारे द्वारा दिए गए आदेश तथा इस बात के मद्देनजर कि कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 4015/96 में दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए हम मामले पर विचार करने से इनकार करते है।"

(iv) जबलपुर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 19.03.1999 के आदेश 2957/94 जिसमें अनिवार्यतः यह कहा गया था कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा किसी भी विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस किसी भी संविधि द्वारा विनियमित नहीं होती है और इसलिए विनियमन/प्रतिषेध के अभाव में उन्हें प्रैक्टिस बंद करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस अथवा शिक्षण को शासित करने संबंधी कोई भी विधान संघ अथवा राज्य द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्रवाई की है। न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यह अधिनियम केवल ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर ही लागू होता है तथा न्यायालय ने यह कहा कि न्यायालय के ध्यान में कोई और विधि नहीं लाई गई थी। जब तक इस शाखा को विनियमित करने के लिए कोई वैद्य कानून नहीं बनाया जाता तब तक याचिकाकर्ता को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा प्रदान करने से रोकना गैर कानूनी है।

(v) रिट याचिका संख्या 2462/08 में जबपुर बेंच, ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश जिसमें दिशानिर्देश दिए गए थे कि रिट याचिका 2957/94 में आदेश लागू होंगे।

-4-

उपर्युक्त के अलावा दसई चौधरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमंत्री द्वारा दिनांक 17.06.1991 को श्री जगन्नाथ सिंह, सांसद को भेजा गया अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2921/डीएम (एच एंड एफ डब्ल्यू) 91/बीआईपी को भी संलग्न किया गया है, जिसमें कहा गया है कि:

"मैंने भारत में इलेक्ट्रोपैथी के विकासात्मक संवर्द्धन और अनुसंधान के लिए एनईएचएम इंडिया को प्राधिकृत किया है।"

4— भारत सरकार द्वारा महानिदेशक आईसीएमआर की अध्यक्षता में गठित "विशेषज्ञ स्थाई समिति" की सिफारिशों के आधार पर आदेश संख्या आर० 14015/25/96— यू एंड एच (आर) (पार्ट) दिनांक—25 नवंबर, 2003 जारी किया गया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित आदेश दिए है:

समिति ने आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्यापैथी और योग एवं नैचुरोपैथी, जिन्हें चिकित्सा पद्धति की मान्यता संबंधी समिति द्वारा तैयार किए गए अनिवार्य एवं वांछनीय मानदंड पूरा करते हुए पाया गया था, के सिवाय वैकल्पिक पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की थी।

समिति ने यह और सिफारिश की थी कि पृथक पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान न की गई चिकित्सा पद्धतियों को पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्रियां जारी रखने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए तथा डाक्टर शब्द का प्रयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के प्रैक्टिशनरों द्वारा ही किया जाना चाहिए। थेरेपी के रूप में माने जाने वाली पद्धति पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों के लिए प्रमाण पत्र पाठयकम के रूप में की जा सकती है।

तथापि समिति ने सिफारिश दी की थेरेपी के रूप में अर्हक एक्यूपंक्चर जैसी कतिपय प्रैक्टिसों को पंजीकृत प्रैक्टिशनरों अथवा उचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा प्रैक्टिस करने हेतु अनुमति दी जा सकती है।

अनिवार्य और वांछनीय मानक के आधार पर समिति ने इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में अर्हक होना नहीं पाया। अतः यह स्पष्ट है कि इस आदेश के अनुसार इलेक्ट्रोपैथी पूर्णकालिक स्नालकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री संचालित नहीं कर सकती है तथा इसकी प्रैक्टिस करने वाले "डॉक्टर" शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते है।

एनईएचएम, द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के अनुसार एनईएचएम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठयकम संचालित कर रहा है न कि पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री पाठयकम।

जहां तक उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठयकमों को मान्यता प्रदान करने का संबंध है यह स्पष्ट किया जाता है कि आयुर्विज्ञान परिषद

-5-

जैसा संबद्ध निकाय/सांविधिक निकाय पाठयकमों को मान्यता प्रदान करता है। चूंकि इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है अतः स्वास्थ्य मंत्रालय में उनके द्वारा संचालित किसी भी पाठयकम को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली नहीं है।

एनईएचएम ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अनुसार यह चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए समिति द्वारा तैयार किए गए अनिवार्य और वांछनीय मानकों की पूर्ति करता हो।

तथापि दिनांक 25 नवंबर, 2003 का आदेश संख्या आर० 14015/25/96—यू एंड एच (आर) (पार्ट) इलेक्ट्रोपैथी के विकास और अनुसंधान को प्रतिषेध नही करता है।

यहां उद्धत मा० उच्च न्यायालय और मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार "तब तक याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा देने से रोकने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है जब तक कि यह दिनांक 25 नवंबर, 2003 के आदेश संख्या आर० 14015/24/96—यू एंड एच (आर) (पार्ट) के प्रावधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियमन होने के पश्चात् किसी भी कियाकलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जाएगा।"

5— शासनादेश सं० 1151/5—6—11—डब्लू (दि० 18.04.11 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिग्री धारकों को प्रैक्टिस करने की अनुमति तथा डाक्टर शब्द प्रयोग करने की अनुमति दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया, परन्तु मा० उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 18—05—11, में याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश दिये गये हैं और याची द्वारा अवगत कराया गया है कि बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र०, भारत सरकार के आदेश दिनांक 025.11.03 एवं 05.05.10 के अनुसार ही समान अवधि के समान पाठयकम संचालित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है।

अतः उपर्युक्त रिट याचिका संख्या 4688/2011 यू०पी० डेवलपमेन्ट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के संबंध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.11 के अनुपालन में याची मोहम्मद हाशिम इदरीसी चेयरमैन, बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 15.12.11 भारत सरकार द्वारा पारित आदेश संख्या

(6)

V25011/276/2009-HR- दिनांक 05.05.10 के अनुसार एतद्द्वारा निम्नवृत निस्तारित किया जाता है:—

"तब तक याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने एवं शिक्षा देने से रोकने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है, जबतक कि यह दिनांक 25.11.03 के आदेश संख्या—आर—14015/24/96 यू०एण्ड एच० (आर) (पार्ट) के प्राविधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी किया कलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जायेगा।"

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या—2914(1)/पॉच—6—10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।

2— महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्स सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3— महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

4— निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्स सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5— समस्त अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी।

6— मोहम्मद हाशिम इदरीसी चेयरमैन बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र०, टंडन मार्केट, 8 लालबाग, लखनऊ, प्रा०शा० कार्यालय—127/204, "एस" जूही, कानपुर।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार गोयल)
विशेष सचिव।

नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक........101250

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 3054 दिनांक 25/03/2022

उत्तर प्रदेश सरकार

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स कानपुर मण्डल, कानपुर (उ०प्र०)

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या K-537 पत्रावली संख्या I-35795 दिनांक 25/03/2022

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास एवं अनुसंधान संस्थान, 9/1, पीली कालोनी, जूही, कानपुर–14 ....को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 115/1975-76 दिनांक 18/04/1975 को दिनांक 10/10 /2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

3100/- रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 25/03/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0/टी0/आफसेट)।

B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025 ✱ B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025

नाम परिवर्तन प्रमाण–पत्र कमांक

प्रारूप – 10

नियम 12 (4) देखिये

संख्या 219   दिनांक 25/03/2022

3053

रजिस्ट्रीकरण सोसाइटी के नाम में परिवर्तन का प्रमाण–पत्र

(अधिनियम संख्या 2 , 1860 के अधीन)

संख्या 115/1975-1976   पत्रावली संख्या I-35795   दिनांक 25/03/2022

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सोसाइटी ने जिसे आगे यू0पी0 डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन उ0प्र0 9/1, पीली कालोनी, जूही, कानपुर –14 .... कहा जाता था अपने नाम में परिवर्तन किया है और सोसाइटी का नया नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्वति विकास एवं अनुसंधान संस्थान, 9/1, पीली कालोनी, जूही, कानपुर –14 .... है / नाम में उपर्यक्त परिवर्तन को दिनांक 25.03.2022 ..... को सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

जारी करने का दिनांक 25/03/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1375)–10,000 प्रतियां (क0 / टी0 / ऑफसेट)।

B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

स्वर्ण जयन्ती आयोजन समिति के पदाधिकारीगण

EH Dr प्रमोद कुमार राघव

EH Dr परिखान राम घूसिया

EH Dr मिहिर विश्वास स्वरूप

EH Dr टेक चन्द्र

EH Dr सुबोध कुमार सक्सेना

EH Dr प्रमोद कुमार मौर्या

डा0 आशुतोष कपूर

B.E.H.M. U.P. GOLDEN JUBILEE - 1975-2025

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–6
कार्यालय ज्ञाप

संख्या–2914 / पाँच–6–10–23रिट / 11दिनांक 04 जनवरी, 2012

के अनुसार

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 भारत सरकार के आदेष दिनांक 25–11–2003 एवं 05–05–2010 के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित कर इलेक्ट्रो होम्यापैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, पंजीकरण, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है

Offered Courses

Name of the Course	Abbreviation	Eligibility	Duration
Fellow of Medicine in Electro Homoeopathy	F.M.E.H.	10+2 (Any Stream) or Equivalent	Two Years (4 Semester)
Certificate in Electro Homoeopathy	C.E.H.	10th. Standard or Equivalent	2 Years
Advance Certificate in Electro Homoeopathy	A.C.E.H.	RegisteredPractitioner in any Branch or Equivalent	1 Year
Graduate in Electro Homoeopathic System	G.E.H.S.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	4 Years Plus (1 Year Internship)
Post Graduate in Electro Homoeopathy	P.G.E.H.	Graduate in any Medical Stream or Equivalent	2 Years

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्या0 : 127 / 204 ''एस'' जूही,कानपुर–208014

website: www.behm.org.in